संख्या-36/2022/240/12-5-2022

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त कुलपति,
कृषि विश्वविद्यालय, बॉदा, मेरठ, कानपुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 2022

विषय: **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।**

प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एन0एम0एस0ए0 योजनान्तर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) संचालित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार किये जाने हैं। इस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही शीघ्र ही किया जाना है:-

1. प्रत्येक जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग के श्रेणी-2 स्तर के अधिकारियों उप समभागीय कृषि प्रसार अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी (SDAEO/PPO/DAO) तथा एक प्राकृतिक खेती के अनुभवी कृषक को राज्य स्तर पर योजना की रणनीति, क्रियान्वयन विधि एवं योजना के विभिन्न अवयवों के साथ-साथ कृषकों को प्रशिक्षित किये जाने की रणनीति तैयार किये जाने विषयक प्रशिक्षण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान पर आयोजित किया जाए।
2. इस हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को कृषि विश्वविद्यालय तथा विभागीय अधिकारियों/कृषकों का चयन उप कृषि निदेशक उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। जनपद के उप कृषि निदेशकों द्वारा चयनित प्रतिभागियों की सूची निदेशक सीमा को उपलब्ध करायी जायेगी। जिन कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को पूर्व में ही प्रशिक्षण मिल चुका है, उन्हें पुन: प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
3. राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्राकृतिक खेती के आयामों पर इस क्षेत्र के अनुभवी वैज्ञानिकों/कृषकों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में देशी गाय की व्यवस्था, जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी, नीमास्त्र इत्यादि का तैयार कर प्रायोजित प्रदर्शन भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान रणनीति भी प्रतिभागियों से तैयार करायी जायेगी।
4. निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा द्वारा 35-40 प्रतिभागियों का बैच इस प्रकार तैयार किया जायेगा, जिससे समस्त जनपदों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके।
5. संस्थान स्तर से प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्रों पर अथवा अन्य संस्थान पर (जहॉ प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन इकाई स्थापित हो) जनपद के प्राविधिक सहायक/ए0टी0एम0/ बी0टी0एम0 तथा अन्य नामित कर्मचारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षित कर किया जायेगा।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य स्तर पर भी एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर से अनुभवी ख्याति प्राप्त वार्ताकारों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान द्वारा अपने वित्तीय संसाधानों से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया जायेगा। एन0एम0एस0ए0 योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होते ही कृषि विभाग द्वारा संस्थान को बजट उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण में हाल ही में महाराष्ट्र भ्रमण पर गये अधिकारियों/कृषकों को उनके अनुभवों से अवगत कराने हेतु यथासम्भव आमन्त्रित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त,

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त कृषि निदेशक, (बाढ़ोन्मुखी) कृषि भवन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय उ0प्र0 शासन को संज्ञानार्थ प्रेषित।

अनुराग यादव
सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।